

19/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्राधी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 28/10/25 को पेश हो।

28/10/25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्राधी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 19/12/26 को पेश हो।

19/12/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनु: पत्रावली
उपस्थित कार्यवाही वास्तु दिनांक 12/2/26
को पेश हो। B.O.

~~19/12/26 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/अप्राधी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12/2/26 को पेश हो।~~

12/2/26 पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 17/3/26 को पेश हो।

17/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनु: पत्रावली का
अवलोकन किमा गमा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना
पत्र 09 R 13 CPC u/s 86 LRA 10 अंतर्गत
धारा 131, 132 व 136 निषेध दिनांक 13/7/23
के संबंध में पेश किमा गमा। अतः प्रार्थना
पत्र 09 R 13 CPC, राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम में CPC प्रभावी रूप से लागू
नहीं होता है। प्रार्थी के पास अपील करने हेतु
अल्प विकल्प उपलब्ध है। अतः इस प्रार्थना
पत्र को भ्रष्ट-जमाने का कोई अपील नहीं है।
अतः प्रार्थी द्वारा पेश किमा गमा प्रार्थना
पत्र 09 R 13 CPC खारिज किमा जाता है। पत्रावली
फैसल खुमार होकर दाखिल फातर हो।